

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि 16 जुलाई, 1990 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-वितरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में सोमवार तिथि 16 जुलाई, 1990 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री गुलाम सरवर के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ ।

पटना
तिथि 16 जुलाई, 1990 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

प्रभारी मंत्री : (1) उत्तर नकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि कबीर सीमेन्ट इंडस्ट्रीज प्रा० लि० को 8-10-86 को 47.80 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया था । इकाई द्वारा 26.16 लाख रुपये ऋण का उपयोग सितम्बर 1989 के पहले तक किया गया एवं शेष राशि व्यगत हो गई । पुनः इकाई को 25.84 लाख का दूसरा ऋण 28-9-89 को स्वीकृत किया गया । इस राशि में से इकाई द्वारा अब तक कुल 7.30 लाख का उपयोग किया जा चुका है ।

यह उद्यमी पर निर्भर है कि वह पूरी स्वीकृत राशि का उपयोग निगम के निदेशों का पालन करते हुए समय सीमा के अन्दर कर ले । निगम को ऋण पूरी स्वीकृत राशि नियमानुसार भुगतान करने में कोई कठिनाई नहीं है । इकाई का अभी कोई देय भुगतान का प्रस्ताव निगम के पास लम्बित नहीं है ।

कालीन उप-केन्द्र की स्थापना

1228. श्री गोपीनाथ सिंह : क्या मंत्री, उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत गढ़वा अनुमंडल में कालीन उद्योग लगाने के लिए वर्ष 1987-88 में बाल-श्रमिकों की विशेष अंगीभूत योजना सरकार के अधीन विचाराधीन है;

- (2) यदि हां तो क्या सरकार गढ़वा में एक कालीन उप-केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री : उत्तर नकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गढ़वा अनुमंडल के भगवानपुर गढ़वा प्रखंडों एवं नगर प्रखंडों में क्रमशः 4, 2, 1/2 एवं 5 बाल बंधुआ मजदूरों की एक योजना पलामू जिला स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक 8-9-1986 की बैठक में स्वीकृत की गई थी, परन्तु ऐसी योजनाएँ जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है जिससे उद्योग विभाग सम्बन्धित नहीं है ।

वर्णित परिस्थितियों के आलोक में प्रश्न नहीं उठता ।

दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई

1229. श्री रणविजय शाही : क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि प्रपत्र 11 और 12 की अनुज्ञप्ति गृह आयुक्त से प्राप्त होने पर बन्दूक दुकानदार राईफल की गोली और राईफल खरीद बिक्री कर सकता है;
- (2) क्या यह बात सही है कि अग्रवाल शस्त्रीगार गोपालगंज बिगत तीन वर्षों से बिना उचित अनुज्ञप्ति के राईफल की गोली बेच रहा है;